



भारतीय खेल प्राधिकरण
SPORTS AUTHORITY OF INDIA

भारतीय खेल प्राधिकरण
(राजभाषा विभाग)

फा.स : भाखेप्रा/नराकास/3085/2024-25/०५

दिनांक : 28.01.2025

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय केंद्र प्रमुख
भारतीय खेल प्राधिकरण

विषय : सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिन्दी पुस्तकों की खरीद के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संबंध में, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या - 19/2017/सभी नरा./उ. क्षे.का.का-1(दि.)/1107 दिनांक 30 दिसंबर, 2024 का और समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन संख्या - 11011/12/2024 - रा.भा (अनु.) दिनांक 19.11.2024 का अवलोकन करें (प्रतिलिपि संलग्न), जो कि सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिन्दी पुस्तकों की खरीद के संबंध में है।

उपरोक्त प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि सभी कार्यालयों प्रमुखों द्वारा संलग्न अनुदेशों का अनुपालन किया जाए और अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाए।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न : यथा उपरोक्त

सा.स. 28/1/25
आशा

उपनिदेशक (राजभाषा)/
सदस्य सचिव (नराकास)

प्रतिलिपि :

1. श्री कुमार पाल शर्मा, संयुक्त निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
2. श्री संतोष कुमार, अनुसंधान अधिकारी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
3. महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण
4. सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण
5. मास्टर फाइल

सं.11011/12/2024-रा.भा.(अनु.)

गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-11 भवन, बी विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 19 नवंबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद।

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 05 मार्च, 1990 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20034/6/90-रा.भा. (पत्रिका) की ओर पुनः ध्यान आकर्षित किया जाता है (प्रति संलग्न)। उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुपूरक के रूप में पुस्तक खरीद हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जाते हैं :-

- (I) केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/बैंकों, उपक्रमों आदि में पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों (जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर) की खरीद हेतु निर्धारित कुल अनुदान राशि का कम से कम 50 % हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय किया जाना अपेक्षित है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रमों में भी यह लक्ष्य स्पष्ट किया गया है।
- (II) निम्न प्रकार की पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं:-
 - (i) हिंदी में काम करने के लिए सन्दर्भ ग्रन्थ जैसे शब्दकोश, शब्दावली, विभाग/कार्यालय के काम से संबंधित विषयों पर हिंदी में पुस्तकें।
 - (ii) मंत्रालयों/विभागों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यालयों में जहां वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकार की हिंदी में पर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, वे

निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए हिंदी की शब्दावलियों/कार्यालय सहायिकाओं/संदर्भ ग्रंथों को खरीदें।

- (iii) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही मौलिक पुस्तक लेखन योजनाओं के अन्तर्गत पुरस्कृत और प्रकाशित पुस्तकें।
- (iv) इसके अलावा, राजभाषा विभाग के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 में उल्लिखित हिंदी शास्त्रीय साहित्य की किताबें।
- (v) भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा हिंदी में प्रकाशित किताबें।
- (vi) राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराई गई किताबों की सूची से।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन करें तथा अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व/नियंत्रणाधीन कम्पनियों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में ला दें और इनके सुनिश्चित अनुपालन के लिए निदेश दें। इस संबंध में दिए अनुदेशों की एक प्रतिलिपि कृपया इस विभाग को सूचनार्थ भेजने की व्यवस्था करें।

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रति:

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन)/राजभाषा प्रभारी।

86

अध्याय-11

सरकारी प्रकाशनों, हिंदी पत्र-पत्रिकाओं एवं हिंदी पुस्तकों की खरीद

का.सं. 20034/6/90-रा.भा. (पत्रिका), दिनांक 5 मार्च, 1990

विषय : सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद।

उपरोक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 19-6-1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11020/21/73-रा.भा. की ओर से ध्यान आकर्षित करने का मुझे निदेश हुआ है, जिसके अंतर्गत अनुदेश दिया गया था कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/यूनिटों, ठपक़ों आदि में पुस्तकालयों में पुस्तकों की खरीद संबंधी अनुदान की कम से कम 25% राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाए और बाजार में विभिन्न विषयों पर हिंदी में उपयुक्त पुस्तकों के उपलब्ध होने पर यह राशि 50% तक खर्च की जाए। इसके साथ ही यह भी सुझाव दिया गया था कि पुस्तकालयों की चयन क्रय समिति में हिंदी अधिकारी को सदस्य-सचिव के रूप में रखा जाए।

2. सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर हिंदी में प्रकाशित वैज्ञानिक, तकनीकी, साहित्यिक पुस्तकों की सूचियां जारी की गई हैं। इस विभाग के दिनांक 4 मई, 1988 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20034/6/85-पत्रिका एकक के अनुसार पुस्तकों के चयन के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

3. राजभाषा विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कई कार्यालयों आदि में ललित साहित्य की खरीद के नाम पर निम्न स्तर की पुस्तकें खरीदी गई हैं, जो कि किसी भी पुस्तकालय में खरीदी जानी वांछित नहीं हैं। पुस्तकालय अनुदान का उपयोग केवल अच्छे स्तर की पुस्तकों की खरीद हेतु अपेक्षित है। विभाग द्वारा इस बात को बहुत गम्भीरता से लिया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि जहां तक ललित साहित्य की खरीद का प्रश्न है, राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि को स्तरीय पुस्तकों की खरीद हेतु सूचियां उपलब्ध कराई जाएंगी, तथा ललित साहित्य की खरीद उन्हीं पुस्तक सूचियों तक सीमित रखी जाए। इस विषय में राजभाषा विभाग द्वारा पुस्तक प्रकाशन से संबद्ध विभागों, संस्थाओं, साहित्यकारों की समिति गठित की गई है। उक्त समिति द्वारा चयनित पुस्तकों की सूची यथाशीघ्र सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को भिजवा दी जाएगी।

4. राजभाषा विभाग के अनुसार दिनांक 4 मई, 1988 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की पुस्तकें खरीदने का अनुदेश दिया गया है।

- (1) हिंदी में काम करने के लिए संदर्भ ग्रंथ जैसे शब्दकोश, शब्दावली, विभाग/कार्यालय के काम से संबंधित विषयों पर लिखी हिंदी में पुस्तकें आदि।
- (2) ऐसी पुस्तकें जो सरल भाषा में और रोचक विषयों पर लिखी हों या सरल और लोक प्रिय समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि, जिनसे कर्मचारियों को हिंदी में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा हो और वे सरल भाषा में बिना शिक्षक सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग कर सकें।
- (3) सरल और रोचक भाषा में लिखी गई पुस्तकें, पत्रिकाएं, रसाले आदि जिन्हें पढ़ कर हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का ज्ञान बना रहे और वे समय के साथ इसे भूल न जाएं।
- (4) मंत्रालयों/विभागों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यालयों में जहां वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकार की हिंदी में पर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, वे निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए हिंदी की शब्दावलियों कार्यालयों सहायिका/संदर्भ ग्रंथ आदि को खरीदें।
- (5) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही मौलिक पुस्तक लेखन योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कृत और प्रकाशित पुस्तकें।

5. मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि पुस्तकों की खरीद उक्त (1), (4), तथा (5) के अनुसार करें। किन्तु (2) तथा (3) के अंतर्गत, साहित्य की खरीद के लिये पुस्तक चयन समिति द्वारा सूचियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बीच, जबतक कि उपर्युक्त सूचियां तैयार हों, मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि साहित्य संबंधी पुस्तकों की खरीद निम्नलिखित लेखकों की कृतियों तक ही सीमित रखी जाए:-

(क) (क) कालिदास, भवभूति, तथा बाणभट्ट के हिंदी में अनुदित ग्रंथ,

(ख) रविन्द्र नाथ ठाकुर, सचिदानन्द राउतराय, तारा शंकर बंधोपाध्याय, बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय, कामिल बुल्के, पन्ना लाल पटेल, तकपी शिवशंकर पिल्लै, मास्ति वेंकटेश अध्यांगार, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, बिमल मित्र, शरत् चन्द्र चट्टोपाध्याय, डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी, श्री राधा कुमुद मुखर्जी, एस० के० पोद्देकाट, वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य, के० शिवराम कारन्त, आशा पूर्णा देवी, गोपीनाथ महान्ती, द०रा० बेन्द्रे, विष्णु दे, कृष्ण चन्दर, अमृत प्रीतम, विश्वनाथ सत्यनारायण, रघुपति सहाय फिराक, गोरखपुरी, कु० वु० पुटप्पा, उमाशंकर जोशी, जी शंकर कुरूप, आर० के० नारायण, वी० वा० शिरवाडकर "कुसुमाग्रज", गुलाब दास ब्रोकर की हिंदी में अनुदित कृतियां।

(ग) कबीर, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम, रसखान, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण शर्मा "नवीन", मुंशी प्रेमचन्द, जय शंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, मैथिलीशरण गुप्त, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला", सुमित्रानन्दन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह "दिनकर", सचिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन "अज्ञेय", जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मोहन राकेश, अमृत लाल, नागर, रांगेय राघव, आचार्य चतुरसेन, आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी, सोहन लाल द्विवेदी, डॉ० लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविन्द वल्लभ पंत, नागार्जुन, डॉ० शंकर शेष, इलाचन्द्र जोशी, गजानन माधव मुक्तिबोध, फणीश्वर नरथ, "रेणु", वृन्दावन लाल वर्मा, वियोगी हरि, सेठ गोविन्द दास, यशपाल।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन करें तथा अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व/नियंत्रणाधीन कम्पनियों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में ला दें और उनके सुनिश्चित अनुपालन के लिए निदेश दें। इस संबंध में दिए गए अनुदेशों की एक प्रतिलिपि, कृपया इस विभाग को सूचनार्थ भेजने की व्यवस्था करें।



भारत सरकार/GOVT. OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, (DEPTT. OF O.L.)

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1(दिल्ली)

NORTHERN REGIONAL IMPLEMENTATION OFFICE-1 (DELHI)

तृतीय तल, त्रिकूट-II, आर के पुरम्, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066,

THIRD FLOOR, TRIKOOT-II, R.K. PURAM, BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI-110066,

दूरभाष/Telephone 011-20867260, 20867261 ईमेल/Email – ddriodel-dol@nic.in

19/2017/ सभी नरा./-उ.क्षे.का.का.-1(दि.)/ 1107 दिनांक: 30 दिसंबर, 2024

सेवा में,

नराकास अध्यक्ष

(हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान

जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ एवं लद्दाख स्थित नराकास)

विषय:- सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं 11011/12/2024-रा.भा. (अनु.) दिनांक 19.11.2024 का अवलोकन करें (प्रतिलिपि संलग्न), जोकि सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद के संबंध में है।

2. कृपया इसे नराकास के सभी सदस्य कार्यालयों में परिचालित करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(कुमार पाल शर्मा)
उप निदेशक (कार्यान्वयन)